पुलिस मुठभेड़ थाना नारखी दिनाँक 12-08-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 20 हजार के इनामिया अभियुक्त मानसिंह उर्फ मोनू को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

- अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस बरामद ।
- घायल अभियुक्त को उपचार हेतु कराया गया भर्ती ।

दिनांक 06-08-2025 को ग्राम गढ़ी पुरानी थाना नारखी में समय रात्रि करीब 10 बजे मानसिंह उर्फ मोनू ने अपने सगे भाई चरन सिंह को गोली मार दी। जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नारखी पर मु0अ0सं0 238/25 धारा 109 बीएनएस0 पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में घायल चरन सिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर मु0अ0सं0 238/25 में धारा 109 को धारा 103(1) में तरमीम किया गया था।

उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12-08-2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0स0 238/2025 में वांछित अभियुक्त सखावतपुर के पास आम के बाग में छिपा हुआ है तथा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा सखावतपुर के पास दबिश दी गई। दबिश के दौरान पुलिस टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को नजदीक आते हुए तथा खुद को घिरता हुआ देखकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में उक्त संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा, 02 खोखा कारतूस एवं 01 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त की पहचान मु0अ0सं0 238/2025 में वांछित अभियुक्त मानसिंह उर्फ मोनू के रुप में हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. मान सिंह उर्फ मोनू पुत्र मुन्शीलाल निवासी गढी पुरानी थाना नारखी फिरोजाबाद

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 238/2025 धारा 103(1) बीएनएस थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 245/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0 177/2015 धारा 395 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0 348/2015 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर
5. मु0अ0सं0 40/2022 धारा 380/454 भादवि थाना रामनगर करनाल जिला करनाल हरियाणा

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर (आलाकत्ल)।
2. 02 खोखा कारतूस।
3. 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. एसओ श्री राकेश कुमार गिरी थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 अभिषेक गुप्ता थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 अमित कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
5. उ0नि0 श्री विशाल सोरान थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
6. है0का0 153 सुधीर कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
7. है0का0 737 राज कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
8. का0 1147 विष्णु कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
9. का0 203 आशुतोष राणा थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।
10. सर्विलांस सेल जनपद फिरोजाबाद।